Constitutional provisions about Language

भाषा के विषय में संवैधानिक प्रावधान : भारतीय संविधान की धारा 350(A) के अनुसार प्रत्येक बच्चे को मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सभी को समान रूप से विद्यालयों में प्रवेश मिलना चाहिए तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6-14 आयु के बच्चों को प्राप्त होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 345 राज्यों को स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह एक या अधिक क्षेत्रीय भाषाएँ को अपने अपने राज्य की सरकारी कामकाज भाषा के रूप में प्रयोग कर सकता है। मातृभाषा को विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग करने का संवैधानिक अधिकार है।

(1) छोटे बच्चों की शिक्षा आवश्यकतानुसार उनकी मातृभाषा में होना चाहिए। मातृभाषा के माध्यम से बच्चे आसानी से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालयों में मातृभाषा का प्रयोग आवश्यक है।

Scanned with CamScanner

(2) शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार हो जिसमें आदिवासियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अति आवश्यक है।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं में शिक्षण की सुविधाएं ~~उपलब्ध~~ उपलब्ध ~~होना~~ होना ~~अति~~ चाहिए।

(4) प्रवासी मजदूरों तथा उनके परिवारों के अन्य सदस्यों को शिक्षा का अधिकार जिसके अन्तर्गत शिक्षण अधिगम में बच्चे की मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराई जाए।

(5) इस प्रकार बच्चों को अपनी भाषा एवं संस्कृति में कक्षा शिक्षण में समान अवसर प्राप्त होना चाहिए।

(6) संविधान की धारा 350A में लिखा गया है कि राज्यों के प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में पढ़ाने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

(7) बच्चों का मानसिक विकास अपनी मातृभाषा में अच्छे ढंग से होता है।

(8) बच्चे आसानी से अपनी मातृभाषा के साथ-साथ एक या दो अन्य ~~क्षेत्रीय~~ क्षेत्रीय भाषाएं भी सीख लेते हैं।

(9) इस प्रकार बच्चे को क्षेत्रीय भाषा में भी पढ़ने का प्रयास करना चाहिए।

Scanned with CamScanner

भारत देश में विभिन्न जाति, धर्म के लोग रहते हैं। विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न भाषाएं प्रचलित हैं जैसे- हिन्दी, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया आदि भाषाएं प्रमुख हैं।

भारतीय संविधान को ~~26 जनवरी 1950 को~~ 26 नवम्बर 1949 को स्वीकार किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान सभा द्वारा 14 सितम्बर 1949 के दिन भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में ~~स्वीकार किया गया।~~ हिन्दी को स्वीकार किया गया। भारत के 10 राज्यों में हिन्दी भाषा का प्रचलन है, अतः हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया।

Multilingual Perspective of India and Bihar

भारत एवं बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुभाषा :-

Multilingualism (~~बहुभाषायी~~) (बहुभाषाई)

जिस देश में भिन्न-भिन्न स्थान पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, उसे बहुभाषायी देश कहा जाता है।

भारत एक बहुभाषी देश है क्योंकि ~~इस~~ इस देश में अनेक जातियों और नस्लों के लोग रहते हैं। जैसे :- आर्य, द्रविड़, ~~मुंडा~~, मुंडा, किरात। इस देश में अनेक ~~बोली~~ भाषाएँ हैं जैसे :- मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, उर्दू, बंगला, राजस्थानी इत्यादि। 22 भाषाएँ और सैकड़ों की संख्या में बोलियाँ बोली जाती हैं।

भारतीय संविधान में दी गई भाषाएं निम्नलिखित हैं।

(1) असमिया (2) बांगला (3) गुजराती
(4) हिन्दी (5) कन्नड़ (6) कश्मीरी,
(7) कोंकणी (8) मलयालम
(9) मणिपुरी (10) ~~मा~~ मराठी

(11) नेपाली (12) उड़िया (13) पंजाबी
(14) संस्कृत (15) ~~सिंधी~~ ~~सिन्धी~~ सिन्धी
(16) तमिल (17) तेलुगु (18) उर्दू
(19) बोडो (20) डोगरी (21) मैथिली
(22) सन्थाली

संविधान निर्माताओं ने भाषा के ~~महत्व~~ को के महत्व एवं भारत में भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए संविधान की अनुसूची 8 में प्रारम्भ में लगभग 14 भाषाओं को सरकारी काम-काज की भाषाओं के रूप में अधिकृत किया।

Scanned with CamScanner

संविधान में संशोधन कर कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया। भारतीय भाषाई सर्वेक्षण 1927 के अनुसार आठ दशक पहले देश में 179 भाषाएँ तथा 544 बोलियाँ बोली जाती थी, जिसमें कुछ प्रदेशों की भाषाएँ सम्मिलित नहीं थी।

1971 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 114 भाषाएँ तथा 216 मातृभाषाओं की पहचान की गई। वर्ष 2001 तक देश में कुल 122 भारतीय भाषाओं की पहचान की गई है जिसमें 22 भाषाओं को अनुसूची 8 में किया जा चुका है।

भाषा के राजनीतिक संदर्भ :-

भाषा राजनीतिक संदर्भों से भी प्रभावित होती है। भाषा के संदर्भ में सरस्वती सरकार भाषा नीति का प्रारंभ करता है।

शिक्षा में भाषा के अध्ययन का प्रश्न राजभाषा के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी सरकार ने 1956 से 1967 तक त्रिभाषा सूत्र की चर्चा की थी। 1967-68 में केन्द्र सरकार पुनः ~~से~~ त्रिभाषा सूत्र को प्रारंभ किया।

(1) ~~हमारी शिक्षा नीति का प्रभाव~~

(1) हमारी भाषा नीति का प्रभाव शिक्षा के स्तर को प्रभावित किया है।

(2) ~~सत्तांत्र~~ गणतंत्र की स्थापना के साथ ही हिन्दी को राष्ट्रभाषा माना गया। हम सब जानते हैं कि इस गौरव के पीछे स्वामी दयानन्द ~~सरस्वती~~ सरस्वती, महात्मा गांधी तथा टंडन जी का योगदान सबसे प्रमुख है।

(3) राज्य सरकार प्रदेश में रहने वाले लोगों की भाषा को देखते हुए इस राज्य के कार्यालयों में इसी भाषा को लागु किया जाता है।